


<p>तारीख</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत ढाणी पुरोहितान मुकदमा न. 64/2017 उनवान सुलतान सिंह बनाम मांगीलाल वगैरह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा .</p>	<p>राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान-2018</p>
<p>04.06.2018</p>	<p>आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत ढाणी पुरोहितान मे पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी उपस्थित नही आये। पत्रावली का न्यायालय मत पर अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र से संबंधित मूल वाद मे पक्षकारो के मध्य हक हिस्सा तय होना है। इसलिए विचाराधीन प्रकरण में कोई पेचिदगिया उत्पन्न न हो, को दृष्टिगत रखते हुए दोनो पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित विवादित भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनो पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा तक पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: center;">  (अलका बिश्नोड़ी) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू </p>	